

**Special Inquiry Committee to investigate alleged Irregularities in Award of a contract to M/s ESP India Pvt. Ltd. by the Transport Department of the Government of NCT of Delhi.**

Terms of Reference of the Committee:

1. To look into all aspects of the award of contract by the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi for inspection and certification of commercial vehicles for fitness to M/s ESP India Pvt. Ltd. and to point out irregularities, if any,
2. To fix responsibility for irregularities, if any,
3. To look into the circumstances surrounding denial of sanction for prosecuting persons perceived to be responsible for the irregularities, if it is now found that the case for prosecution is actually made out against them,
4. To recommend action against the persons responsible for these irregularities, if any, and to suggest future course of action in this case,
5. To suggest remedial action at institutional level to avoid such irregularities, if any, in future, and
6. To suggest measures for recovery of amount illegally accrued by the vendor by way of this contract, if any;

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House;

That the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker;

That the committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and

That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the sixth Session of the sixth Legislative Assembly".

## “सी.एन.जी. फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में कथित भ्रष्टाचार और इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच समिति”

### समिति के विचारार्थ विषय :

1. सर्वश्री ई.एस.पी. इंडिया प्रा. लिमिटेड को व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु परिवहन विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार द्वारा ठेका देने के सभी पहलुओं की जांच करना और यदि कोई अनियमितता हो तो उसके बारे में बताना,
  2. यदि कोई अनियमितता हो तो उसके लिए जवाबदेही तय करना,
  - 3.यदि अब यह पाया जाता है कि उनके खिलाफ कानूनी मामला बनता है तो अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति न दिये जाने की परिस्थितियों की जांच करना,
  - 4.यदि कोई अनियमितता पाई जाये तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना और इस मामले में भविष्य के लिए क्रियाविधि सुझाना,
  5. यदि कोई हों तो भविष्य में संस्थागत स्तर पर ऐसी अनियमितताएं रोकने के लिए उपचारों का सुझाव देना,
  6. इस कांट्रैक्ट के माध्यम से वेन्डर द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई धनराशि, यदि कोई हो तो उसकी वसूली के उपाय सुझाना,
- .कि समिति सदन द्वारा दिये गये जनादेश की पूर्ति हेतु अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होगी ।
- .कि समिति, यदि आवश्यकता हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपनी जांच का दायरा बढ़ाने हेतु स्वतंत्र होगी ।
- .कि समिति को विधान सभा की वर्तमान समितियों को प्राप्त सभी शक्तियां एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी ।
- “समिति अपनी रिपोर्ट छठी विधान सभा के छठे सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी । ”